भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3650

जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री जन धन योजना

3650. श्री अरुण गोविल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत अब तक देश में खोले गए बैंक खातों की कुल संख्या कितनी है तथा महिला और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को सुदृढ़ बनाने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जन धन खाताधारकों के लिए उपलब्ध बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का विस्तार किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वित्तीय समावेशन को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ) दिनांक 22.07.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 58.84 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते खोले गए हैं। इनमें से 45.77 करोड़ खाते ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं और 32.79 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते महिला लाभार्थियों के हैं।

पीएमजेडीवाई के दिशा-निर्देशों में सरकार से लाभार्थियों के जन-धन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) करने की व्यवस्था की गई है। पीएमजेडीवाई खातों सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में लाभ दिया जा रहा है। डीबीटी योजनाओं से जुड़े पीएमजेडीवाई खातों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव केंद्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

पीएमजेडीवाई खाता धारकों सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कुल नामांकन में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है और दिनांक 22.07.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 28.05 करोड़, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत 59.18 करोड़ और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत 9.40 करोड़ नामांकन हुए हैं।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 2017 से वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता के लिए सामुदायिक-नेतृत्व वाले अभिनव और सहभागी दृष्टिकोण अपनाना है। देश भर में कुल 2,421 सीएफएल स्थापित किए गए हैं, जिसमें औसतन एक सीएफएल तीन ब्लॉकों को कवर करता है।

बैंक विभिन्न योजनाओं, बुनियादी बैंकिंग, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से शिविर आयोजित करते हैं।
